

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

Need to protect the land rights of Scheduled Tribes on their marriage to non-tribals

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग की भू-संपदा को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) का संरक्षण प्राप्त है। इसके तहत जनजाति वर्ग की भू-संपदा केवल जनजाति वर्ग के मध्य ही जा सकती है। एक निश्चित वर्ग में विनियमन होने के कारण यह भू-संपदा अत्यंत सस्ती दर में परस्पर विनिमय की जाती है, लेकिन इसका लाभ अब अन्य वर्ग के लोग उठा रहे हैं। ऐसा जानकारी में आया है कि अन्य धर्मावलंबी भोली-भाली आदिवासी कन्याओं से विवाह करके उनके नाम पर जनजाति वर्ग की इस भू-संपदा को खरीदते हैं और कालांतर में उत्तराधिकार नियम के तहत, वह भू-संपदा उन धर्मावलंबियों के नाम पर हो जाती है। इससे जनजाति वर्ग अपनी भू-संपदा से हाथ धो रहा है और उसकी सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, जनसांख्यिकीय आक्रमण हो रहा है। अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए या तो मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करे या केन्द्रीय स्तर पर कोई कानून बनाए।

माननीय सभापति महोदय, जनजातीय वर्ग की परिभाषा के तहत कहा गया है - 'जो शहरी आबादी से दूर रहते हैं और प्राकृतिक आधार पर जीवनयापन करते हैं', लेकिन जब धर्मांतरण हो जाता है, तब उनकी यह विशेषता समाप्त हो जाती है, उनकी उपासना पद्धति बदल जाती है, उनका रहन-सहन, खाना-पीना बदल जाता है और उनकी आस्था भी बदल जाती है। ऐसी स्थिति में धर्मांतरित वर्ग की जनजातीय वर्ग के साथ तुलना करना उचित नहीं है। जनजातीय वर्ग को धारा 341 के तहत आरक्षण सहित अनेक सुविधाएँ प्राप्त हैं। महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जो धर्मांतरित वर्ग है, जिसको जनजातीय वर्ग की सुविधा प्राप्त है,

जब वह धर्मातरित हो जाता है तो उसको आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं की परिधि से बाहर होना चाहिए, जिससे कि भारत में जो जनजातीय वर्ग है, उसकी विशेषता, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता की सुरक्षा की जा सके, धन्यवाद।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री समीर उरांव (झारखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Appointment of teachers qualified in recruitment exam

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति जी, मैं एक गंभीर विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में शिक्षा विभाग में शिक्षक वर्ग-ए की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 17,000 पद शिक्षा विभाग के और जनजातीय कार्य विभाग के 2,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। वर्ष 2019 में उसकी परीक्षा भी संपन्न हुई और उसकी मेरिट लिस्ट भी बनी। वर्ष 2020-21 के बीच एक सूची बनाकर, उसका सत्यापन किया गया और उसमें ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण भी दिया गया, जिसमें 8,212 नए पदों का नियुक्ति आदेश जारी किया गया। 11 विषयों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, लेकिन राजनीति, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृत एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग-दो में ओबीसी को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। 13 प्रतिशत आरक्षित पद बिना किसी वजह के होल्ड कर लिए गए हैं और 13 प्रतिशत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करके उनके संवैधानिक हकों का हनन किया जा रहा है। इसके संबंध में चयनित शिक्षक संघ द्वारा अब आंदोलन किया जा रहा है। उसके द्वारा इस संबंध में ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि ओबीसी के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी किया जा सके।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूँ।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil nadu): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.